न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी, जिला–अजमेर

प्रकरण सख्या 4091 / 2015(2016 / 00401)

भंवरलाल उर्फ भूरा पुत्र श्री भैरू जाति छीपा निवासी सावर तहसील सावर जिला अजमेर हाल हम्मीरगढ़ जिला भीलवाड़ा राजस्थान

––प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सावर जिला अजमेर –– अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट</u>

उपस्थित–
1. **अब्दुल सलीम गौरी–वकील प्रार्थी**
2. **पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार सावर**

–:: आदेश ::– **दिनांक– 14.05.2022**

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत 2022 मे पेश हुई। वादी के अधिवक्ता एवं पैरोकार सरकार उपस्थित प्रकरण मे पक्षकारान को सुना गया संक्षेप मे विवरण निम्न प्रकार है

निम्न वर्णित आराजीयात वाके मौजे जंगल सावर तहसील सावर जिला अजमेर में स्थित है

खाता संख्या नया–पुराना	खसरा संख्या	रकबा	किस्म
921–1450	3910	0.56	जा 2
	3911	0.04	बीड
	कुल किता 2	कुल रकबा 0.60हैक्टर	

उक्त आराजीयात का विवरण संवत् 2041 की जमाबन्दी के अनुसार निम्न प्रकार है।

खाता संख्या नया–पुराना	खसरा संख्या	रकबा	किस्म
546–570	2290	3बीघा 3बिस्वा 3बिसवांसी	चाही

वाद वर्णित आराजीयात संवत् 2041 में वादी के नाम दर्ज थी। तथा वर्तमान मे भी वादी के तन्हा कब्जे काश्त में चली आ रही है जिसमें किसी अन्य व्यक्ति या संस्था का कोई हक हिस्सा अधिकार व कब्जा काश्त नही है। वाद वर्णित आराजीयात वादी की पुश्तैनी आराजीयात है। जो संवत 2024 से 2026 तक की जमाबन्दी में वादी के पिता भैरू वल्द श्री कालू छीपा जाति छीपा के नाम बतौर खातेदार दर्ज है तथा भैरू की मृत्यु पश्चात वादी के नाम बतौर खातेदार वाद वर्णित आराजीयात में नामान्तकरण दर्ज हुआ इस प्रकार वाद वर्णित आराजीयात पर वादी का व उसके पूर्वजो का निरंतर कब्जा काश्त स्वामित्व चला आ रहा है। वाद वर्णित आराजीयात राजस्व अधिकारीयो की भूल एंव सहवन से तथा बिना किसी आधार के वर्तमान में मंदिर मूर्ति श्री चारभुजा जी महाराज के नाम दर्ज हो गई है जो कतई गलत व विधि विरूद्व है। वाद वर्णित आराजीयात पर ना तो मंदिर मूर्ति श्री चारभुजा जी महाराज और ना ही उक्त मंदिर के पुजारी का कब्जा काश्त है बल्कि वादी का ही उक्त आराजीयात पर कब्जा काश्त है एंव ना तो वादी मंदिर मूर्ति श्री चारभुजा जी महाराज का पुजारी है और ना ही वादी के पूर्वज मंदिर मूर्ति श्री चारभुजा जी महाराज के कभी पुजारी रहे है। वाद वर्णित आराजीयात का कब्जा काश्त वादी व उसके पूर्वज बतौर खातेदार काश्त करते चले आ रहे है लेकिन राजस्व अधिकारीयो की गलती व भूल एंव सहवन से उक्त आराजीयात मंदिर मूर्ति श्री चारभुजा जी महाराज के नाम बतौर खातेदार [illegible] व विधि विरूद्व है। वादी द्वारा राजस्व रेकार्ड दुरूस्ती के सम्बन्ध में न्याय आपके द्वार अभियान [illegible] सावर में दिनांक 5.6.2015 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसे प्रतिवादी को [illegible] किये गये। लेकिन

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.06.16 10:41:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रतिवादी द्वारा किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट पेश नही की गई। वादी ने प्रतिवादी से उक्त प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध मे कई मर्तबा राब्ता कायम किया लेकिन प्रतिवादी हर दफा टालम टोल करता रहा। दिनांक 14.9.2015 को प्रतिवादी ने वादी से स्पष्ट कहा कि उक्त प्रार्थना पत्र में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नही कर सकता और ना ही करूंगा इसलिए मान्य हाजा के समक्ष यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना लाजिमी आया है। वाद वर्णित आराजीयात पर मंदिर मूर्ति श्री चारभुजा जी महाराज का नाम विलोपित कर वादी का नाम बतौर खातेदार दर्ज किया जाना आवश्यक एंव न्यायोचित है

पत्रावली न्यायालय के क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया व अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया प्रतिवादी जरिये पैरोकार सरकार तहसीलदार सावर द्वारा दिनांक 12.10.2020 को उनके पत्र कमांक 1416 द्वारा जवाब/मौका रिपोर्ट पेश किये जो निम्नानुसार है।

1. ग्राम सावर की जमाबन्दी चौरासा संख्या 2073–76 के खाता संख्या 996 के अनुसार आराजी खसरा नंबर 3910 रकबा 0.50, 3911 रकबा 0.04 मन्दिर मुर्ति श्री चारभुजा जी महाराज के नाम दर्ज रिकार्ड है। भू–अभिलेख सावर के रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरा नंबर पर भंवरलाल पुत्र भैरू जाति छीता का कब्जा काश्त है। वर्तमान में कास्त श्री राजेश पुत्र कल्याण जाति ब्राम्हण द्वारा की जा रही है। भंवर लाल पुत्र भैरू जाति छीपा मय परिवार के हमीरगढ़ जिला भीलवाडा में निवास करता है।
2. फसली जमाबन्दी सन 1359 में आराजी खसरा नंबर 1664 रकबा 3 बिघा 17बिश्वा भैरू पुत्र कालू कौम छीपा के नाम दर्ज था। खतौनी जमाबन्दी संवत् 2024–27 में भी उक्त खसरा नंबर भैरू पुत्र कालू कौम छीपा सा. देह खातेदार के नाम दर्ज था।
3. वर्किंग जमाबन्दी सवंत 2041 के खाता संख्या 546 में खसरा नंबर 1664, 3 बिघा 17 विश्वा के मिलान क्षेत्रफल अनुसार नवीन खसरा नंबर 2290 रकबा 3 बिघा 17 बिश्वा बनकर वारिस भूरा पुत्र भैरू कौम छीपा सा. देह खातेदार के नाम दर्ज हुआ।
4. नामांतरण संख्या 503 दिनांक 12.6.1993 द्वारा वंर्किंग जमाबन्दी में भूरा पुत्र भैरू जाति छीपा को मन्दिर का पुराजी मानकर खसरा नंबर 2290 को मन्दिर मूर्ति श्री चारभुजा जी महाराज के नाम अमल कर दिया गया। भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार वादी उक्त मन्दिर का पुजारी रहा ही नही।
5. जमाबन्दी के खसरा नंबर 2290 के मिलान क्षेत्रफल अनुसार नवीन नं 3910 रकबा 0.50, 3911 रकबा 0.04 है। जो लगातार मन्दिर मूर्ति श्री चारभुजा जी महाराज के नाम चले आ रहे है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उपलब्ध दस्तावेज फसली जमाबन्दी सवंत् 1359 व वर्किंग जमाबंदी सवंत् 2041, व मिलान क्षेत्राफल व मौका रिपोर्ट/जवाब सरकार का अवलोकन किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है नामांतरण संख्या 503 दिनांक 12.6.1993 द्वारा प्रार्थी भंवरलाल उर्फ भैरू जाति छीपा को मन्दिर का पुजारी मानकर खसरा नंबर 2290 को मन्दिर मूर्ति श्री चारभूजा जी महाराज नाम सहवन से दर्ज कर दिया गया अतः इसे दुरूस्त कर ग्राम सावर की जमाबंदी संख्या 2073–76 के खाता संख्या 996 के अनुसार आराजी खसरा नंबर 3910 रकबा 0.50, 3911 रकबा 0.04 मन्दिर मूर्ति श्री चारभुजा जी महाराज का नाम दुरूस्त कर प्रार्थी श्री भंवरलाल उर्फ भैरू का बतौर खातेदार दर्ज अंकन किये जाने के आदेश दिया जाता है। तहसीलदार सावर खाता दुरूस्त की कार्यवाही करे। बाकी इन्द्राज यथावत रखे।

आदेश राष्ट्रीय लोक अदालत मे सरे इजलास सुनाया गया।

सदस्य
उपखण्ड
लोक
(तालुका विधिक सेवा समिति)
केकड़ी (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.06.16 10:41:02
Reason: SelfAttested

न्यायिक अधिकारी
लोक अदालत बैंच
तालुका विधिक सेवा समिति
केकड़ी जिला–अजमेर

Scanned with CamScanner